

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: शुद्धि पत्र ::

संख्या-7/स्था0-05-04/2026सा0प्र0...9635.../ पटना-15, दिनांक...01-6-26

विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-05-04/2026सा0प्र0 8280 दिनांक 11.05.2026 में उल्लिखित "प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है तथा उनकी सेवा निगरानी विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है", के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है", पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना में अंकित शेष बिन्दुएँ यथावत रहेंगी।

विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-05-04/2026सा0प्र0 8280 दिनांक 11.05.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Sumit
01/06/26

(सुनील कुमार तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-05-04/2026सा0प्र0...9635... पटना-15, दिनांक...01-6-26

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

Sumit
01/06/26

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-05-04/2026सा0प्र0...9635... पटना-15, दिनांक...01-6-26

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक (प्र0), उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-41454 दिनांक 02.05.2026 के प्रसंग में/अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा/श्री जावेद आलम, संयुक्त सचिव (विधि), निगरानी विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वि0दा0नि0को0), बिहार, पटना तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sumit
01/06/26

सरकार के अवर सचिव।